डीजी परिपत्र संख्या- 26 /2014

ए0एल0 बनर्जी
आई0पी0एस0

पुलिस महानिदेशक
उत्तर प्रदेश।
1, तिलक मार्ग, लखनऊ।
दिनांकः अप्रैल 26 ,2014

विषय- आपराधिक अभियोगों की विवेचना में साक्षी के रूप में चिन्हित लोक सेवकों के पूर्ण विवरण (पुलिस कर्मियों का पूरा नाम, पिता का नाम, मूल पता एवं पी0एन0ओ0 नम्बर) अनिवार्य रूप से आरोप-पत्र में अंकित किये जाने विषयक।

प्रिय महोदय/महोदया,

प्रायः यह देखने में आ रहा है कि आपराधिक अभियोगों की विवेचना के मध्य विवेचना में साक्षी/विवेचक के रूप में पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों का पूर्ण विवरण आरोप पत्र/अन्तिम रिपोर्ट में अंकित नहीं किया जाता है। परिणामस्वरूप मा0 न्यायालय में विचारण के समय ऐसे साक्षीगण/विवेचकों को तत्समय मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने हेतु सम्मन निर्गत करने में कठिनाई उत्पन्न होती है।

2. अतएव उपरोक्त तथ्य के दृष्टिगत प्रेषित किये जाने वाले समस्त आरोप पत्र/अन्तिम रिपोर्ट में विवेचक तथा साक्षी पुलिस कर्मियों का पूरा नाम, पिता का नाम, मूल पता एवं पी0एन0ओ0 नम्बर अवश्य अंकित किया जाए। इसके अतिरिक्त विवेचना में साक्षीगण के रूप में अन्य लोक सेवकों का भी पूरा नाम, पिता का नाम, विभाग आई0डी0 नम्बर एवं मूल पता अनिवार्य रूप से अंकित किया जाए, ताकि विचारण के समय इनको सुविधाजनक रूप से अवगत कराया जा सके। इसी प्रकार हीनियस क्राइम मानीटरिंग सिस्टम (H.C.M.S) में विवरण अपलोड करते समय भी आवश्यकतानुसार उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन किया जाय।

3. कृपया इन निर्देशों को आप अपने अधीनस्थ समस्त राजपत्रित अधिकारियों एवं थानाध्यक्षों को अवगत करा दें एवं इनका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करायें।

भवदीय,

(ए0एल0 बनर्जी) 26/04/14

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
प्रभारी जनपद(नाम से)
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1.अपर पुलिस महानिदेशक, रेलवे, उ0प्र0 लखनऊ।
2.अपर पुलिस महानिदेशक, सी0बी0सी0आई0डी0, उ0प्र0 लखनऊ।
3.पुलिस महानिरीक्षक, समस्त जोन, उ0प्र0।
4.पुलिस उपमहानिरीक्षक, समस्त परिक्षेत्र, उ0प्र0।